

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Budget-2019/ **Unst.- 28/ 13-CM**
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 23.02.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 28 due for
25.02.2019 asked by Shri Om Prakash Sharma, MLA.**

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/1240 dated 15.02.2019 received from Dy. Secretary (QB), Old Secretariat, Delhi -54, on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.



(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 28

दिनांक :- 25.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री ओम प्रकाश शर्मा, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के निर्देश पर दिल्ली जल बोर्ड ने नए मकान बनाने वालों को अब पानी के लिए दो पाइप लाइन बिछाने की अनिवार्यता कर दी है;	<u>क), ख), ग) एवं म ड)</u> जी नहीं। यद्यपि यदि पानी की मांग औसत 12500 Litre per day (LPD) से अधिक है तो आवेदक को दोहरी प्रणाली करवाना अनिवार्य है। पहली पाइप लाइन पीने योग्य पानी के लिए है और दूसरी ना पीने योग्य पानी के लिए है। दोनों पाइप लाइन आवेदक को खुद लगवानी होगी। ना पीने योग्य पानी की पाइप लाइन फलशिंग और बागवानी के लिए आवेदक को फलशिंग और बागवानी उद्देश्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता को अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण (recycling of waste water) के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।
(ख)	इसको सरकार किस प्रकार क्रियान्वित करेगी;	
(ग)	क्या सरकार ने इसके लिए अलग-अलग पानी पैदा करने, स्टोर करने और वितरित करने की समुचित व्यवस्था कर ली है, इसकी विस्तृत जानकारी दें;	
(घ)	इस योजना के क्रियान्वयन पर कितना व्यय आयेगा; ओर	इस योजना पर व्यय प्रत्येक आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
(ङ)	सरकार द्वारा इसकी क्या व्यवस्था की गई है?	


निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.W.B., Govt. of NCT of Delhi